	# छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-10

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019</u>

(माघ 25, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18 पटल पर रखा ।

3. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा एवं अन्य सदस्यों ने किसानों को ऋणमाफी का नो-ड्यूश नहीं दिये जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

(भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

5. बहिर्गमन

श्री शिवरतन शर्मा सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया गया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, बृहस्पत सिंह, सदस्य ने रायपुर शहर में निर्माणाधीन स्काईवॉक की उपयोगिता एवं औचित्यहीन निर्माण की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री अरूण वोरा

(3) श्री केशव प्रसाद चंद्रा

(4) श्री नारायण चंदेल

(5) श्री लालजीत सिंह राठिया

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर

(2) श्रीमती इन्दू बंजारे

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

9. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 26 एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-24 पर श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, केशव प्रसाद चंद्रा, सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री देवव्रत सिंह, अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-3** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-4** पर सर्वश्री देवव्रत सिंह, शिवरतन शर्मा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-5**

पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर,नारायण चंदेल, **मांग संख्या-51** पर डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-26** पर डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, **मांग संख्या-37** पर सर्वश्री देवव्रत सिंह, शिवरतन शर्मा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री नारायण चंदेल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतराम नेताम, अजय चंद्राकर, आशीष कुमार छाबड़ा, नारायण चंदेल, मोहन मरकाम,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्री केशव प्रसाद चंद्रा, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री सौरभ सिंह, किस्मत लाल नंद,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

10. बहिर्गमन

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

11. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सायं 04.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019 (माघ-26, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा